1	2	3	4	5
4	कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम	669.00	400.00	146.71
5	स्वयं सेवी एजेंसियां	1353.63	855.00	350.00
6	श्रमिक विद्यापीठ	97.59	111.08	126.47
7	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	185.00	32.25	2.50
8	नहरु युवक केन्द्र	200.00	—	—
9	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	8.36	9.60	16.36
10	प्रौढ शिक्षा निदेशालय	285.90	246.70	431.37
11	संपूर्ण साक्षरता अभियान	5978.90	5350.00	7140.59
12	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	—	2.28	0.01
13	राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्था	8.50	100.00	45.00

लेखकों को रायल्टी का भुगतान न किया जाना

3385. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रकाशन जगत में प्रकाशकों द्वारा लेखकों को रॉयल्टी का भुगतान न किया जाना एक आम बात बन गई है ;

(ख) क्या सरकार ने लेखकीय तथा बौद्धिक कार्यों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ग) क्या देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विकास पर बल डालने के उद्देश्य से यह जरूरी नहीं है कि प्रकाशकों द्वारा रॉयल्टी की चोरी को आपराधिक कार्य घोषित कर दिया जाए जिसमें फौजदारी अदालतों में प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और सांस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सामान्यत: प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें लेखकों व प्रकाशकों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है जो कॉपीराईट अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं और जिसमें रॉयलटी देने का प्रावधान होता है ।

(ख) और (ग) लेखक या साहित्यक लेखक को उसके प्रकाशक द्वारा रायल्टी का भुगतान प्रत्येक लेखक व प्रकाशक के बीच अनुबंध का मामला है । लेखक को लिखित अनुबंध से नियत कार्य द्वारा लाइसेंस देने या अपना कॉपीराइट स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है । रॉयल्टी का भुगतान न करने से दो पक्षों के बीच हुआ अनुबंध समाप्त हो सकता है तथा इन मामलों में क्षिन्न पक्ष सिविल मामला दायर करके सक्षम न्यायालय का सहारा ले सकता है । इस प्रकार जहां किसी लेखक को प्रकाशक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाता उन मामलों में न्याय प्रदान कर

के लिए देश के कानून में लेखकों के लिए समुचित सुरक्षा उपायों का प्रावधान है ।

कुंवारी मातायें

3386. श्री अमंतराव देवशंकर दवे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर वर्ष राज्य-वार कितनी अभागी कुंवारी मातायें बच्चों को जन्म देती हैं ;

(ख) कुंवारी माताओं और बच्चों को आर्थिक सहायता, सामाजिक दर्जा और उनके निभाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) अनाथालयों में रह रही कुंवारी माताओं और बच्चों को सामाजिक दर्जा दिलाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(घ) ऐसी लड़कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो यौन उत्पीड़न के बाद बच्चों को जन्म देती और क्या ऐसे बच्चों के विवाह के लिए सरकार के पास कोई योजना है और क्या सरकार के इस प्रयोजन के लिए किसी संस्था को स्थापना की है ;

(ङ) यदि हां, तो देश में ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके क्या-क्या नाम हैं और क्या प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्रों आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता को ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं । इस संबंध में कोई सांख्यिकीय

(ख) और (ग) अविवाहित माताओं और उनके बच्चों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है । परन्तु सरकार निर्धन परिवारों और महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने हेतु नोराड, स्टेप, आई.आर.डी.पी.डी.डब्ल्यू. सी. आर.ए., एस.ई.पी., सी.सी.ई. और वी.टी. तथा जागृति विकास कार्यक्रमों जैसे कई कल्याण और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है समाज में महिलाओं और बच्चों की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा उनके प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन लाने के लिये प्रचार माध्यमों से प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) यौन उत्पीड़न के बाद बच्चों को जन्म देने वाली लड़कियों की संख्या से संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के पास ऐसी बच्चों और उनके विवाह आदि के लिए न तो कोई योजना है और न ही कोई संस्थान हैं । परन्तु सरकार ने 1993-94 के दौरान देश के अधिकतम आबादी वाले 11 शहरों में गलियों में घूमने वाले आवारा बच्चों के कल्याणार्थ एक योजना शुरू की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

Project report submitted by Karnataka

3387. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Govt eernmnt of Karnataka has submitted: a revised project report to the Centrb for trainig and employment programmes for mm! women in handloom activities amd

(b) if so, the status of the project report?

THE MINISTER OF STATE IN-THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 'AND DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BAAVA RAJESHWARI): (a) Yes, Sir. The